जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प.1(4)नासेके/जविप्रा/2019/डी.112. दिनांकः 31-5-2021.

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का आवंटन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाते है उनकी लीज–डीड (पट्टा) जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज–डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 24.03.2021 द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 4 (2) वित्त/कर/2021–273 दिनांक 24.02.2021 सलंग्न करते हुए उसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 24.03.2021 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में भी उक्त प्रकरणों में उक्तानुसार ही कार्यवाही किये जाने हेतु सभी जोन उपायुक्तों को निर्देशित किया जाता है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

(हृदेश कुमार शर्मा),
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन/एलपीसी/पीआरएन, जविप्रा, जयपुर
4. निजी सचिव,संयुक्त आयुक्त(एस.एम.), जविप्रा, जयपुर ।
5. उपायुक्त जोन 1 से 14, पीआरएन नोर्थ/दक्षिण–प्रथम व द्वितीय, जविप्रा जयपुर
6. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा जयपुर
8. श्री/श्रीमती..... सलाहकार, ना.से.के.,जविप्रा जयपुर ।

(गिरि राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त(एस.एम.)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(313)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक 24 MAR 2021

निदेशक स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर,
श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौडगढ़, जैसलमेर,
बाडमेर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर।

मुख्य नगर नियोजन, (एन.सी.आर.)
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर

विषय :– अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रित सम्पत्ति के नियमन के संबंध में।

नगरीय विकास न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल द्वारा भूखण्ड आवंटन एवं नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं, उनकी लीज–डीड (पट्टा) जारी होने से पूर्व ही अपंजीकृत दस्तावेजों से बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज–डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प. 4(2)वित्त/कर/ 2021–273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि का अपंजीकृत दस्तावेजों द्वारा बेचान (चाहे कितनी भी बार हो) कर दिया जाता है, उन प्रकरणों में अंतिम क्रेता के पक्ष में लीज–डीड (पट्टा) निष्पादन की कार्यवाही वित्त विभाग की संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4(2)वित्त/कर/ 2021–273 दिनांक 24.02.2021 अनुसार की जा सकती है।

आज्ञा से,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 24, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लोक उपक्रम या अन्य किसी सरकारी निकाय द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में आबंटन आदेश के आधार पर पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आबंटन की रकम का 1.5 गुना पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि स्तम्भ 2 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी उस स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की संख्या का विवरण देते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2.	नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आबंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	(i) जहां दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत पर; (ii) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 1995 से 31 मार्च, 2005 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर; (iii) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 2005 से 31 मार्च, 2010 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर; (iv) जहां दस्तावेज 1 अप्रेल, 2010 से 14 जुलाई,

		2014 के मध्य निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 35 प्रतिशत पर; (v) जहां दस्तावेज 15 जुलाई, 2014 को या उसके पश्चात् निष्पादित हुआ है, वहां उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख को या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख को संपत्ति के बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर; टिप्पण:1. पट्टा विलेख जारी करते समय संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा; 2. पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-273]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव